रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2002/पौष 14, 1923

No. 7] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2002/PAUSA 14, 1923

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 8 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 फरवरी, 2002 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिससे ही उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के उपबंध, नीचे उल्लिखित उन संगठनों को, जो सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सोसाइटियां और कानूनी संगठन हैं, लागू होंगे और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 730(अ), तारीख 2 मई, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्यांक 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	निगम/सोसाइटी/अन्य प्राधिकरण का नाम	
(1)	(2)	
"39.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन
40.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कानूनी संगठन
41.	सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बतन्स	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन
42.	भारतीय खगोल भौतिक संस्थान	भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वायत्त निकाय
43.	भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद	भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय
44.	भारतीय वन प्रबंध संस्थान	भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन, म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वायत्त निकाय
45.	इंडियन प्लाइवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन, कर्नाटक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।"

[फा. सं. पी.-13030/1/99-ए.टी.]

प्रदीप कुमार देव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.—मूल अधिसूचना सा.का.नि. 730(अ), तारीख 2 मई, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 1172(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 1986
2. सा.का.नि. 84(अ), तारीख 6 फरवरी, 1987

3. सा.का.नि. 409(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1987
4. सा.का.नि. 542(अ), तारीख 11 जुलाई, 1995
5. सा.का.नि. 748(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 1998

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Departmental of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2002

G.S.R. 8 (E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Administrative Tribunals Act,1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 1st day of February, 2002, as the date on and from which the provisions of Sub-section (3) of Section 14 of the said Act shall apply to the organizations mentioned below, being the societies and statutory organizations owned or controlled by the Government and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) number G.S.R. 730(E), dated the 2nd May, 1986, namely :—

In the Schedule to the said notification, after serial No. 38 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely :—

S.No.	Name of the Corporation/ Society/other authority	
(1)	(2)	
"39.	National Council of Educational Research and Training	Autonomous body under the Ministry of Human Resource Development, Government of India
40.	University Grants Commission	Statutory organization under the Ministry of Human Resource Development, Government of India
41.	Central Tibetan Schools Administration and Central School for Tibetans	Autonomous organisation under the Ministry of Human Resource Development, Government of India.
42.	Indian Institute of Astrophysics	Autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860 under Department of Science and Technology, Government of India.
43.	Indian Council of Forestry Research and Education	Autonomous body Under the Ministry of Environment and Forests, Government of India .
44.	Indian Institute of Forest Management	Autonomous body registered under M.P. Societies Registration Act, 1973 under the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
45.	Indian Plywood Industries Research and Training Institute	Society registered under the Karnataka Societies Registration Act, 1960 under the Ministry of Environment and Forests, Government of India.".

[F. No. P-13030/1/99-AT]

PRADEEP KUMAR DEB, Jt. Secy.

Footnote.—Principal notification was published vide number GSR 730(E), dated the 2nd May, 1986 and subsequently amended vide :—

(1) G.S.R. 1172(E), dated the 31st October, 1986,
(2) G.S.R. 84(E), dated the 6th February, 1987,
(3) G.S.R. 409(E), dated the 20th April, 1987,
(4) G.S.R. 542(E), dated the 11th July, 1995,
(5) G.S.R. 748(E), dated the 17th December, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.